पत्रांकःएन0आई0ए0एल / 39 / 2021
दिनांकः 09/2/2021

सेवा में,

Shivangi Jain
ATS Greens Paradiso,
Tower 19, 19051, Chi-IV
Greater Noida 201308

विषय :– **कम्पनी सेकेटरी (संविदा) के पद पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदया,

दिनांक 22.01.2021 को संविदा पर कम्पनी सेकेटरी की नियुक्ति हेतु सम्पन्न साक्षात्कार में साक्षात्कार हेतु गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं प्राप्त अनुमोदन के कम में आपको नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में कम्पनी सेकेटरी (संविदा) के पद पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

1. आपकी नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में कम्पनी सेकेटरी के रूप में सेवा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह के लिए होगी जिसे 06–06 माह के लिए सेवा संतोषजनक होने पर 03 वर्ष तक बढाया जा सकता है।
2. आपको कम्पनी सेकेटरी के पारिश्रमिक के रूप में निर्धारित नियत वेतन रू0 36000/– मासिक आपकी योगदान तिथि से दिया जायेगा।
3. समय–समय पर कम्पनी सेकेटरी की संविदा पर नियुक्ति हेतु जारी सेवा शर्तो का अनुपालन कम्पनी सेकेटरी (संविदा) हेतु बाध्यकारी होगा।
4. उक्त धनराशि का भुगतान सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा।
5. उक्त नियुक्ति 01 माह पूर्व लिखित नोटिस जारी कर कभी भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी, नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
6. संविदा द्वारा नियुक्त कम्पनी सेकेटरी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में एक माह पूर्व लिखित नोटिस मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दी जाएगी तथा उक्त व्यक्ति द्वारा एक माह के उपरान्त सी.ई.ओ., एन.आई.ए.एल द्वारा अधिकृत व्यक्ति को समस्त कार्यभार सौप कर कार्य मुक्त किया जा सकेगा।
7. आपके द्वारा नियुक्ति के अनुसार शपथपत्र संलग्न प्रारूप –01 व 02 को भरकर कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
8. प्राधिकरण के कार्य से मुख्यालय से बाहर भेजे जाने की स्थिति में प्राधिकरण के नियमों के अन्तर्गत आपको यात्रा भत्ता प्रदान किया जायेगा।

9.2.21
CEO

9. आपकी उपस्थिति व कार्य करने के दिनों की संख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र विभाग के प्रभारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। तत्पश्चात लेखा विभाग द्वारा प्रत्येक माह भुगतान किया जायेगा।

10. आपके द्वारा नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सभी प्रचलित नियमों आदेशों एवं सौपे गये दायित्वों का पालन किया जायेगा।

11. सेवा अवधि के दौरान अथवा सेवा अवधि के बाद भी आपके द्वारा सेवा के सम्बन्ध में कम्पनी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद योजित नहीं किया जायेगा।

12. आपको किसी भी प्रकार का अवकाश (जैसे अर्जित अवकाश, आकास्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश आदि) देय नहीं होगा। अनुपस्थिति की स्थिति में वेतन देय नहीं होगा।

13. उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तो का उल्लेख करते हुए आपके द्वारा उक्त आशय का Bond रू0 100 के स्टाम्प में भरकर प्रस्तुत किया जायेगा।

14. नियुक्ति पत्र जारी किये जाने की तिथि से 01 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

9.2.21

(डा0 अरूणवीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड